कार्यालय मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद

पत्रांक :- 984 /46एम0(मुरादाबाद)-मु0क्षे0/20-21 दिनांक- 30/4/21

170
N/O
01/06/2

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।

विषय:- श्रीमती नाजिया परवीन पुत्री श्री हाजी इकराम कुरैशी पत्नी हाजी फरहान कुरैशी निवासी भूडे का चौराहा ईदगाह रोड, मुरादाबाद के द्वार ग्राम मुस्तफाबाद तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित गाटा सं0-112मि0, 113मि0 व 114मि0 पर हिन्दुस्तान पैट्रोलियम लिमिटेड का रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

संदर्भ:- मुख्य अभियन्ता(मु0-2), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ का पत्रांक 702एम0टी0/सामान्य वर्ग/60एम0टी0/1999, दिनांक 05.01.2021 एवं अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत, लो0नि0वि0, मुरादाबाद का पत्रांक-965/105काम-मु0वृत/20 दिनांक 23.02.2021

अधीक्षण अभियन्ता के पत्र दिनांक 23.02.2021 द्वारा संस्तुत प्रस्तुत प्रकरण में स्पष्ट करना है कि विज्ञापन की तिथि दिनाक 04.12.2019 से पूर्व का है। रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (सामान्य वर्ग), लोनिवि, लखनऊ के पत्र सं0-15362एम0टी0/सामान्य वर्ग/60एम0टी0/1999, दि0 24.12.2020 द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया है। "उच्च स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक दि0 18.03.2020 (छाया प्रति संलग्न) में लिये गये उपरोक्त वर्णित निर्णय के कम मे स्पष्ट किया जाता है कि जिन मामलो में ऑयल कम्पनी द्वारा निर्गत विज्ञापन की तिथि शासनादेश दिनाक 04.12.2019 के पूर्व की हो, उन समस्त प्रकरणों का निस्तारण पूर्व शासनादेशो में निर्धारित व्यवस्थाओं के अनुसार क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा कराया जायेगा।" उल्लेखनीय है कि पूर्व में मुख्य अभियन्ता(मु0-2),लोनिवि, लखनऊ के पत्र सं0-7725/एम.टी./16एम.टी./99, दिनांक 15.11.2003 द्वारा यह निर्देशित किया गया था, कि समस्त मार्गो पर रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट, रोड ट्रान्सपोर्ट एवं हाईवेज (रोड विग), ट्रान्सपोर्ट भवन, नई दिल्ली के पत्रांक आर.डब्लू./एन.एच. 33023/19/99, डी.ओ.-3 दिनांक 31.08.2000 मे निहित निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। तत्पश्चात् मुख्य अभियन्ता(मु0-2) के पत्र सं0-79कैम्प/मु0अभि0 (मु0-2)/सामान्य/19, दिनाक 30.09.2019 द्वारा कतिपय कारणों से जारी 2003 की गाइड लाइन्स को निरस्त कर दिया गया था। अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त के फलस्वरूप दिनांक 04.12.2019 से पूर्व प्रकाशित रिटेल आउटलेट के प्रकरणों हेतु लोनिवि में कोई भी गाइड लाइन्स प्रचलित नही है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों यथा प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख, चेकलिस्ट एवं मानचित्र के आधार पर प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति निम्न प्रतिबन्धो/शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है।

1. मार्ग के मध्य बिन्दु से दोनों ओर 220 फीट की दूरी तक कोई भी स्थायी निर्माण न किया जाये।
2. मानचित्र मे प्रस्तावित निर्माण मार्ग के मध्य बिन्दु से 33.00 मी0 की दूरी के बाद ही अस्थायी निर्माण किया जाये।
3. विभिन्न मद का निर्माण कार्य मानचित्र मे दर्शायी गयी माप एवं मानक विशिष्टियों के अनुरूप ही सम्पादित किया जाये।
4. प्रस्तावित निर्माण स्थल पर आने जाने हेतु पहुँच मार्ग का निर्माण आवेदक को स्वयं अपने निजी व्यय पर कराना होगा।
5. रिटेल आउटलेट से पानी की समुचित निकासी हेतु पुलिया व नाली के निर्माण से सम्बन्धित ले आउट प्लान, पुलिया व नाली की परिकल्पना का अनुमोदन कार्य कराने से पूर्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से कराना होगा।
6. रिटेल आउटलेट की स्थापना के फलस्वरूप यातायात की सुरक्षा हेतु आवश्यक साईनबोर्ड एवं रोड मार्किंग की व्यवस्था आवेदक को निजी व्यय पर कराना होगा।
7. भू-स्वामित्व का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु दी गयी प्रोविजनल अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
8. भविष्य मे प्रश्नगत मार्ग के चौड़ीकरण/मार्ग की श्रेणी में परिवर्तन होने के फलस्वरूप जनसुविधाओं में वृद्धि होने के कारण लो0नि0वि0 को यदि भूमि अधिग्रहण करनी पड़ती है, तो उस स्थिति मे निर्गत अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी एवं आवेदक को पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
9. मार्ग के प्रयोग में लाये जाने हेतु यदि भविष्य में कोई किराया निर्धारित किया जाता है तो उसका वहन सम्बन्धित कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त समस्त प्रतिबन्धों/शर्तों का अनुपालन न किये जाने एवं किसी भी अभिलेख के असत्य पाये जाने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
संलग्न-- मानचित्र एक प्रति में।

(डी0के0 मिश्रा)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को उनके पत्रांक-965/105काम-मु0वृत/20 दिनांक 23.02.2021 को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।

JET
EE

15-11-21
नितिन श्रीवास्तव
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक एवं विधियत गठित न्यायवादी
Chief Regional Manager & Duly Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office

प्रस्तावित स्थल पुराना एन0एच0–24 (दिल्ली–बरेली–लखनऊ मार्ग) (शहर मार्ग) के कि0मी0–163 चैनेज–162.863 पर स्थि है। रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट नियमावली–1964 के नियम–7(2) में निहित व्यवस्था के अनुसार मार्ग के मध्य बिन्दु से 33.00 मीटर की दूरी प्रस्तावित निर्माण की अनुमति हेतु संस्तुति निम्न शर्तो के साथ अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु प्रकरण प्रेषित है :–

1. मानचित्र मानक के अनुसार बने है।
2. प्रस्तावित निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नही किया गया है।
3. आवेदक के विरूद्ध उक्त प्रस्तावित स्थल सम्बन्धी उ0प्र0 रोड़ साइड लैण्ड कन्टोल एक्ट–1945 की धारा–13(1) अथवा 13(2) के अन्त कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नही है। अन्य किसी प्रकार के वाद एवं विवाद के सम्बन्ध में आवेदक का उत्तरदायित्व होगा।
4. प्रस्तावित निर्माण स्थल नगर निगम की सीमा के अन्दर है।
5. प्रस्तावित स्थल पुराना एन0एच0–24 (दिल्ली–बरेली–लखनऊ मार्ग) (शहर मार्ग) के कि0मी0–163 चैनेज–162.863 के बायीं ओर स्थित है
6. रिटेल आउटलेट की सर्विस रोड के लिये 4.00 कि0मी0 की दूरी तक सर्विस बेरियर नही है।
7. बफर स्ट्रिप 5.00 मीटर लम्बाई एवं 3.00 मीटर चौड़ाई तक रिटेल आउटलेट पर वाहनों का प्रवेश एवं निकास कवर्स की चौड़ाई 9.00 मी है।
8. प्रस्तावित हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि0 के रिटेल आउटलेट का निर्माण शासनादेश संख्या–1882/23–12– 19–1365/17टी लोक निर्माण अनुभाग–12 दिनांक 04.12.2019 के अनुसार किया जाये।
9. प्रस्तावित निर्माण कार्य मार्ग की मध्य रेखा से बफर स्ट्रिप 33.00 मीटर, पम्प 40.00 मीटर एवं भवन निर्माण 49.50 मीटर की दूरी मानचित्र में प्रदर्शित है।

क– आवेदक को हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि0 रिटेल आउटलेट पम्प लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त अपने निजी खर्च मानचित्रानुसार ओपन ड्रेन (नाली) एवं दोनों ओर पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा। वर्षो के लिये लीजडीड एग्रीमेंट निर्धारित प्रपत्र (एनक्चर–3) पर फर्म से प्राप्त कर लिया गया है। **एग्रीमेंट की फीस बैंक ड्राफ्ट बैंक कुल 10 लाख के द्वारा जमा की जा चुकी है।** प्रार्थी का लीजडीड एग्रीमेंट निर्धारित स्टाम्प के फार्म संलग्न है।

ख– आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा, कि रिटेल आउटलेट हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि0 पम्प लगाने से पूर्व व पश्चात् मार्ग किसी प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध न होने पाये।

ग– आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वयं के इस्तेमाल एवं वर्षाती पानी का बहाव इस प्रकार कराना होगा, कि पानी बिना किसी अवरोध सीधा नाली में ही आये तथा किसी भी दशा में रिटेल आउटलेट का पानी मार्ग पर नही आना चाहिए एवं नाली को बन्द नही कि जायेगा।

घ– फिलिंग स्टेशन के मार्ग की सतह को मार्ग की लेपित सतह से 0.50 मीटर नीचा रखा जायेगा।

10. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि0 पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मीटर स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप कराना होगा तथा निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साइड खन्ती में 1.00 मी चौड़ाई का ड्रेन बनाकर ऊपर स्टील पाइप के कैटिल केचर बना दिया जाये ताकि रोड का पानी सुरक्षा एवं सुविधा पूर्वक रोड साइट ड्रे से होकर आगे प्राकृतिक नाली/नाले में बह सके। किसी भी दशा में नाली/नाले को बन्द नही किया जायेगा साथ ही यह सुनिश्चि करना होगा, कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आने पाये।
11. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि0 पम्प के पहुँच मार्ग का ढाल लो0नि0वि0 मार्ग से पुलिया की ओर हो तथा पुलिया आई0आर0सी0–12–2009 के अनुसार निर्मित की जायेगी।
12. बफर स्ट्रिप के पास हैजिज की ऊँचाई 60 सेमी0 से ऊपर न रखी जाये।
13. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि0 पम्प का निर्माण लो0नि0वि0 मार्ग की स्थाई भूमि के बाहर अनुमोदि नक्शे के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाये। मार्ग के मध्य से 49.50 मीटर की दूरी से कम पर कोई भव निर्माण नही होना चाहिए।
14. यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी स्थिति में अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त समझ जायेगा।
15. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि0 पम्प से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराने से पूर्व प्रार्थी को अधिशास अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मुरादाबाद से लाइसेन्स डीड एक्जीक्यूट कराना आवश्यक है।
16. भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाए इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0 का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।
17. लो0नि0वि0 मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि मार्ग के निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी को अप खर्चे पर ही कार्य कराना होगा इस क्षति के लिये किसी भी प्रकार का मुआवजा नही दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मुरादाबाद

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मुरादाबाद 24/12/2020

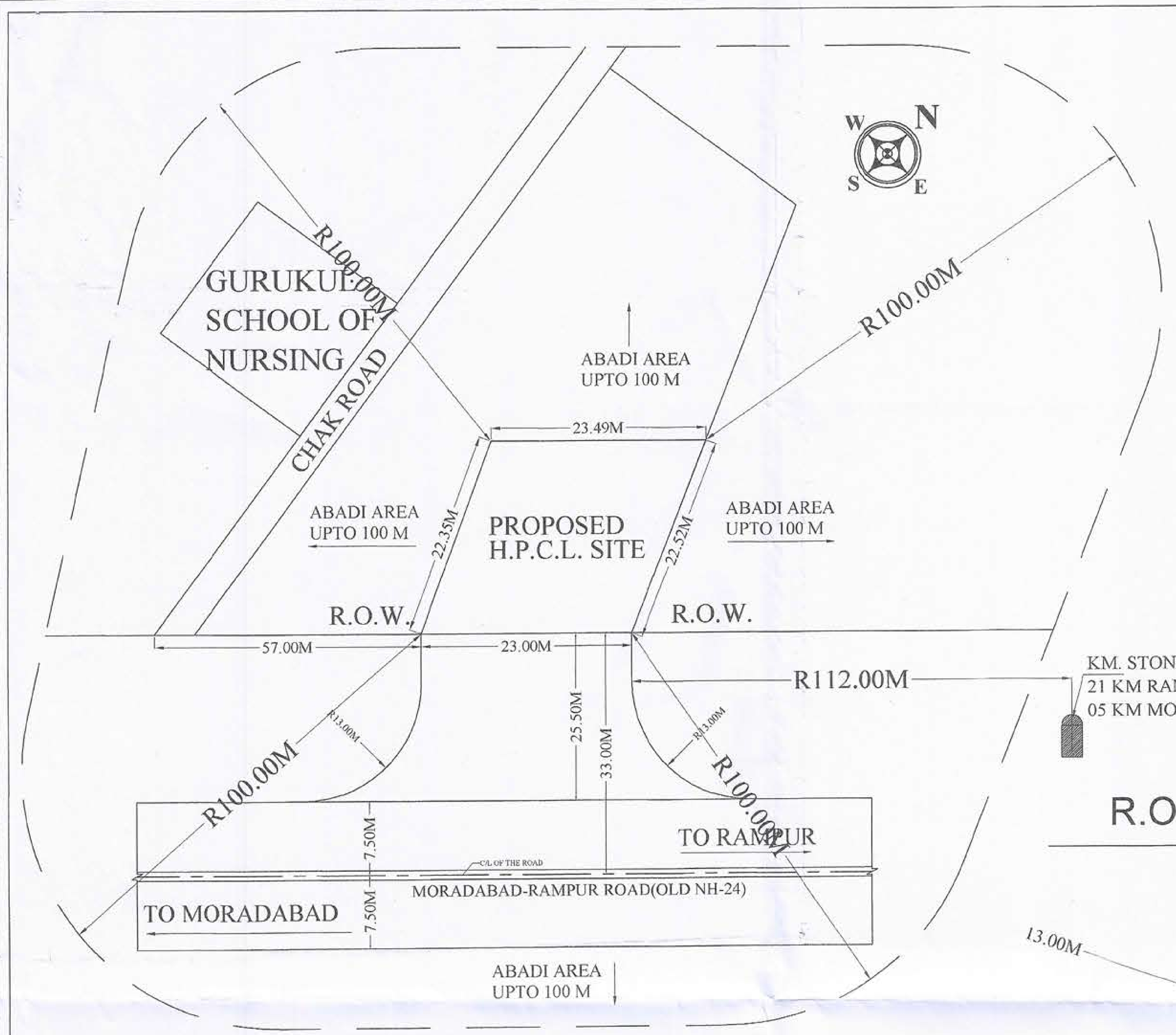

SITE PLAN
SCALE 1:400

DETAIL OF KERB WALL
SCALE - NTS

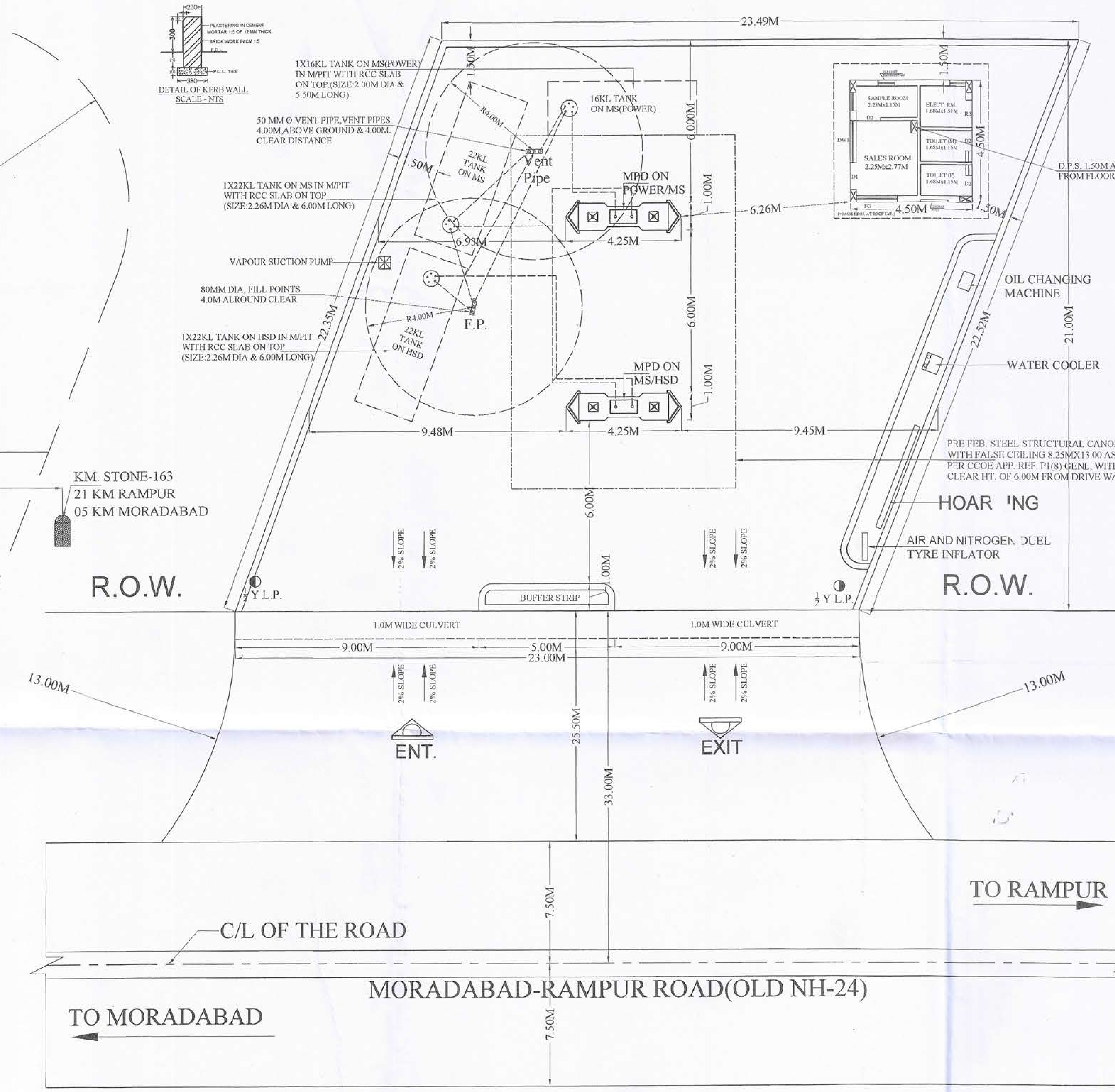

LAYOUT PLAN(1:100)

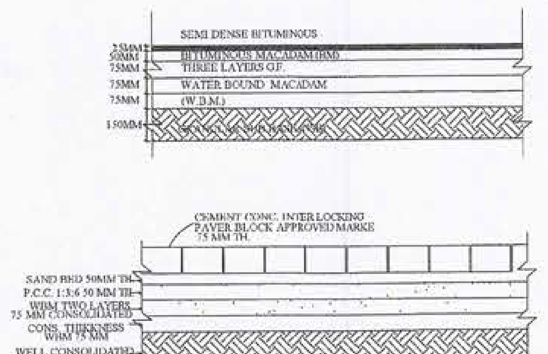

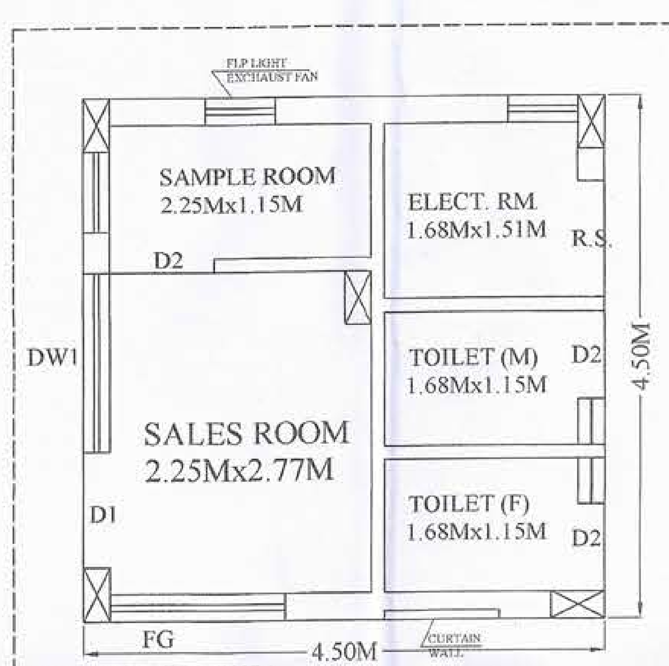

BUILDING PLAN
(SCALE 1:50)

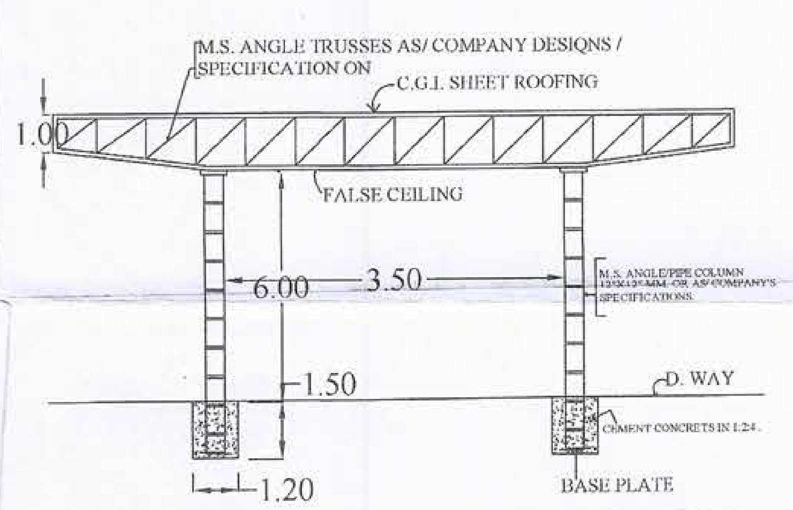

SECTION DETAIL OF STUCTURAL CANOPY

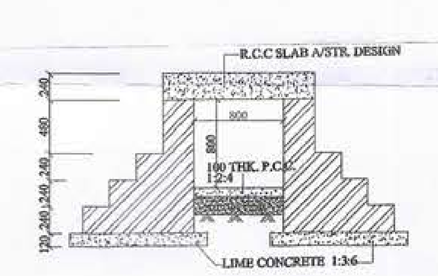

CULVERT DETAIL

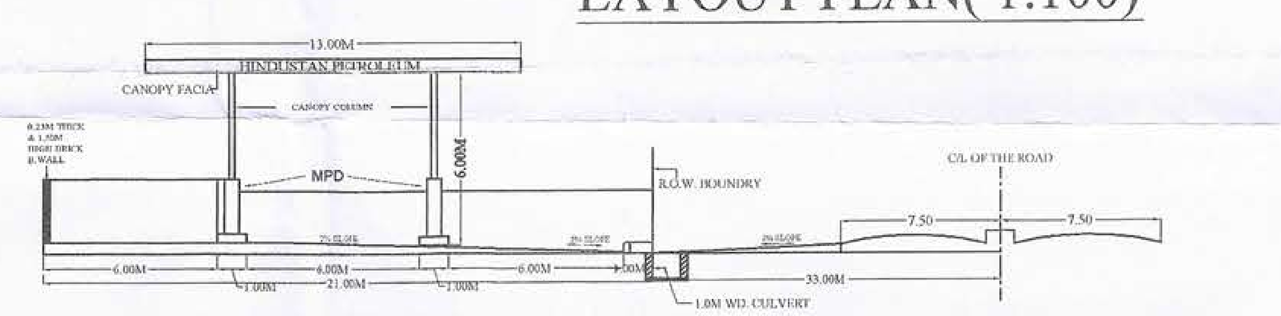

SECTIONAL ELEVATION OF LAYOUT PLAN (SCALE 1:200)

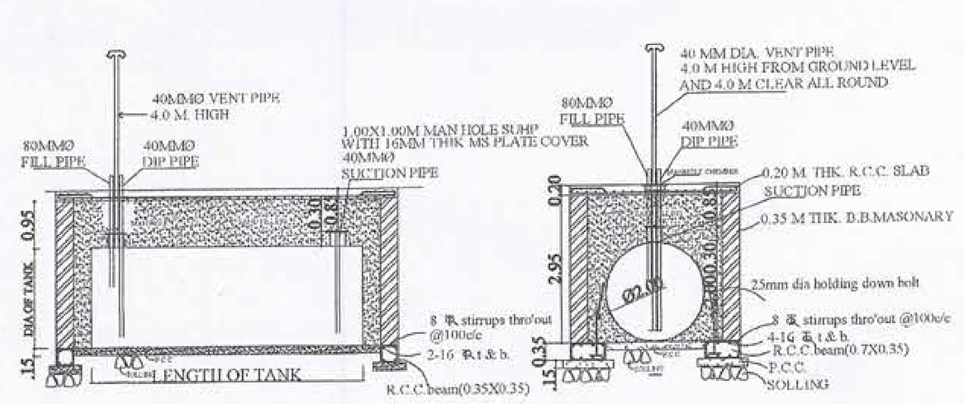

LONGITUDINAL SECTION OF U/G TANK INSTALLATION (TYP) (TYP)
I.S.:10987:1992 AS PER C.C.O.E. NAGPUR ORDER NO. G-40 (SC)P/MISC. 94 DATED 24.02.99

SECTION DETAIL OF U/G TANK

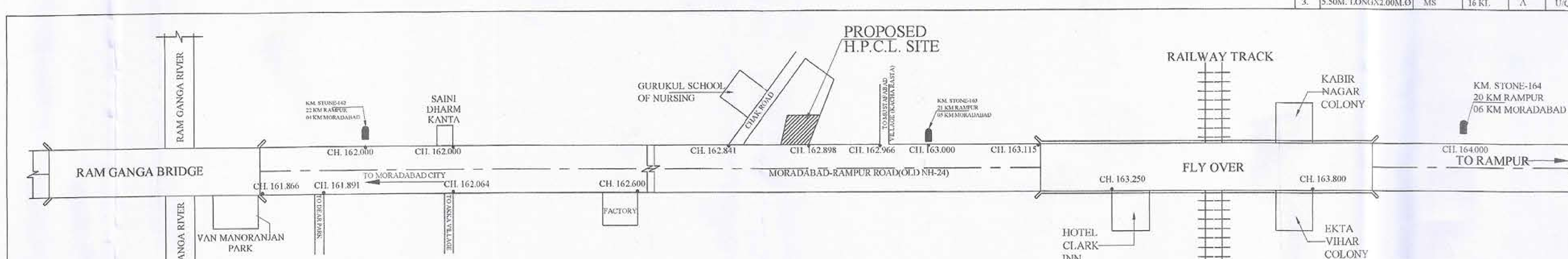

LOCATION PLAN 1.00 KM EITHER SIDES OF SITE (NOT TO SCALE)

AREA CHART :-	SQ.MT
1. TOTAL PLOT AREA	521.27
2. OPEN AREA	497.96
3. CANOPY AREA	107.25
4. BUILDING AREA	23.31
5. TOTAL COVD . AREA ON GROUND FLOOR	23.31

NOTES :-

1. ALL DIMENSIONS ARE IN METERS.
2. V= VENT PIPES 4 M HIGH AND END CONERED WITH 2 LAYERS OF BRASS WIRE GAUGE 11 MESH PER LINEAR CENTIMETER.
3. F= FILL POINTS FITTED WITH CAMLOCK COUPLING AND AIR TIGHT THREADED BRASS CAP FOR DECANTING FROM TANK LORRY.
4. D= DIP PIPES WITH CAP ASSEMBLY.
5. ALL ELECTRICAL FITTING AREA FLAME PROOF CONFORMING TO I.S.:2148.
6. ALL DOORS OF BUILDING TO BE OPENED OUTWARDLY.
7. NO SEWER OR SURFACE DRAIN WITHIN 6M. OF THE U/G. TANK & D/U.
8. PREMISES TO BE USED FOR ONLY STORAGE OF PETTROLEUM PRODUCTS.
9. TANKS AREA PAINTED WITH TOW LAYERS OF HOT BITUMEN OVER TWO COATS OF RED LEAD PRIMER TO PROTECT AGAINST CORRSION.
10. FABRICATION DESIGN OF UNDER GROUND STORAGE TANK AREA CONFORMING TO I.S.:10987:1992 AS PER C.C.O.E. NAGPUR ORDER NO. G-40 (SC)P/MISC. 94 DATED 24.02.99
11. S.B. SAND BUCKET 10 NOs. AS PER EXPLOSIVE S RULES.
12. F.E. FIRE EXTINGUISHER 10 NOs. AS PER EXPLOSIVES RULES.
13. TANK SHOULD BE GINEN HYDROLIC PRESSURE TEST PRIOR TO INSTALLATION AND BEFORE ANY PROTECTIVE COATING AS APPLIED. THE TEST SHOULD BE MAINTOINED AT A CONTROLED PRESSURE OF 0.36 KG./SQ.CM. FOR 2 HOURS.
14. DIP ROD SUPPLIED WITH THE TANK FOR THIS TYPE OF INSTALLATION SHOULD BE 3280 LONG INSTEDS OF STANDARD 2350 MM.
15. FABRICATION THICKNESS OF SHELL PLATES AND END PLATE OF TANKS.
    35 KL.-SHELL - 6MM, END - 8MM.
    16KL. SHELL - 6MM, END - 8MM.
16. TANKS CONFORMS TO 124.125 & 131 OF THE PETROLEUM - 2002
17. ALL LIGHT POLES AREA FITTED AS PER APPROVAL OF CCE NAGPUR VIDE LETTER NO. PL-111(MB) DATED : 26.11.1963.
18. NATURAL DOWN SLOPE FROM THE EDGE OF METALLED ROAD TO CULVERT ON APPROACHES WALL BE MAINTAINED FREE FLOW OF WATER TOWARD'S DRAIN.
19. SITE MEETS APPLICABLE IRC 1983 NORMS. WITH LATEST AMENDMENTS.
20. EV = EXTENDED VENT POINTS .
    EF = EXTENDED FILL POINT S.
21. THE PROPOSED SITE IS FREE FROM ANY TYPE OF LITIGATION AND NO CASE IS PENDING IN ANY COURT OF LAW.
22. NO ELECTRICAL LINE IS PASSING OVER THE RO PREMISES.

SCHEDULE OF DISPENSING UNIT

S. NO.	DISPENSING UNIT	PRODUCT.	NOs.	CLASS
1.	MPD	MS/POWER	01	A/A
2.	MPD	MS/HSD	01	A/B

SCHEDULE OF TANK

S. NO.	SIZE	PRODUCT.	CAPACITY	CLASS	REMARKS
1.	6.00M. LONGX2.26M.Ø	HSD	22 KL	B	U/G TANK
2.	6.00M. LONGX2.26M.Ø	MS	22 KL.	A	U/G TANK
3.	5.50M. LONGX2.00M.Ø	MS	16 KL.	A	U/G TANK

KHASRA NO. ---	112 MIN, 113 MIN, 114/1 MIN
VILLAGE:-	MUSTAFABAD MUSTAKAM
NEAREST POLICE STATION--	KATGHAR
NEAREST RAILWAY STATION--	KATGHAR
TEHSIL :-	MORADABAD
DISTRICT :-	MORADABAD

HINDUSTAN PETROLEUM CORP. LTD.
RETAIL REGIONAL OFFICE R.P.G. TOWER,MANGAL PANDEY NAGAR, MEERUT.

PROPOSED PETROL PUMP SITE FOR HINDUSTAN PETROLEUM CORP. LTD. BETWEEN RAMGANGA BRIDGE AND KASHIPUR TIRAHA ON MORADABAD-RAMPUR ROAD DISTT. : MORADABAD.

DRG. NO.:- HPC/EXP/APP/MRT/112 DATE:- 12/11/2019

DRAWING BY:- CHK. BY:- APP.

LOC. NO.:- 1476

राहुल मीना
Rahul Meena
ऑफिसर-रिटेल अभियांत्रिकी
Officer-Retail Engineering
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office

KSHITIZ GUPTA
B.Arch.
Architect
(Reg. No. CA/2015/71702)
Regd. Architect of Council of Architectures

नितिन श्रीवास्तव
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक एवं विधिवत गठित न्यायवादी
Chief Regional Manager & Duly Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office
15-11-21